षोडश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.11.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० श्री रवींद्र सिंह, स०वि०स० श्री नीरज कुमार, स०वि०स० श्री अ० जलील मस्तान, स०वि०स०	"वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना रिपोर्ट के आधार पर सफेद कार्ड के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह 1.80 रू० गेहूं व 2.80 रू० चावल, पीडीएस सिस्टम से देने का प्रावधान है । इसके साथ ही बीपीएल सूची से वंचित 60 वर्ष से ऊपर के गरीबों को वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन, इंदिरा आवास एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है । अतः सफेद कार्ड को भी बीपीएल में मानते हुए बीपीएल से वंचित परिवारों को बीपीएल में जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री राम विचार राय, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री सैयद अबु दौजाना, स०वि०स०	''राज्य के हर जिले में जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा कानून की गलत व्यवस्था करके पैसा की वसूली की जाती है । किसानों को भयादोहन कर नाजायज और बात न मानने पर झूठे मुकदमें में फँसा दिया जाता है । उदाहरणस्वरूप दरभंगा जिला के सदर प्रखण्डान्तर्गत शोभन गाँव के निवासी मो० जूही द्वारा अपनी जमीन भरने के उद्देश्य से अपने ही खेत की मिट्टी मात्र तीन फीट काटी जा रही थी, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा इसे जबरन रोक दिया गया एवं पैसा न देने पर जे०सी०बी० को जप्त करते हुए दिनांक-22.11.2018 को सिमरी थाना में मो० जूही पर गलत F.I.R. कर दिया गया । इस घटना से स्थानीय जनता आक्रोशित है । अतः उक्त मामले की निष्पक्ष जाँच एवं कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	खान एवं भूतत्व

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/18- 9798 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 नवम्बर, 2018 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण विकास विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
27.11.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/18- 9798 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 नवम्बर, 2018 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
27.11.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

27/11/2018